



राज्य सूचना आयोग
सूचना भवन (चौथा तल्ला) बिहार, पटना

के० संख्या- 34/06-07

विषय:- श्री प्रद्युम्न राय, पार्षद जिला परिषद, सीवान का प्राप्त आवेदन-पत्र।

09.11.2006

आज श्री राय का आवेदन आयोग के समक्ष विचारार्थ रखा गया। इस पर विमर्श उपरान्त निदेश हुआ है कि आवेदन की छायाप्रति समाहर्ता, सीवान के माध्यम से उनके लोक सूचना पदाधिकारी को भेजते हुए उनका मंतव्य संबंधित अभिलेखों के साथ दिनांक-25.11.06 तक मांगी जाय तथा लोक सूचना पदाधिकारी आवेदक को दिनांक-21.12.06 को प्रातः 11.00 बजे आयोग की होनेवाली सुनवाई में उपस्थित होने की सूचना भेजी जाय।

(पी०एन० नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

21.12.2006

आयोग द्वारा मामले की सुनवाई की गयी। न तो लोक सूचना पदाधिकारी उपस्थित हुए और न ही उनका मंतव्य ही प्राप्त हुआ। जिला पदाधिकारी, सीवान को स्पष्टीकरण के साथ आयोग के सम्मुख आगामी सुनवाई दिनांक 16.01.07 को प्रातः 10.30 बजे उपस्थित होने का निदेश दिया जाय। तदनुसार आवेदक को भी सूचित किया जाय।

(पी०एन० नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

16.01.2007

वादी प्रद्युम्न राय अनुपस्थित हैं। जिला पदाधिकारी-सह-प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, सीवान उपस्थित हैं। उन्होंने बताया कि प्रद्युम्न राय के जान-माल की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उन्हें अंगरक्षक प्रदान कर दिया गया है। इस परिस्थिति में वाद को समाप्त किया जाता है।

(पी०एन० नारायणन)
राज्य सूचना आयुक्त

(मो० शकील अहमद)
राज्य सूचना आयुक्त

(न्या० शशांक कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त